खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 19/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011 उनवान दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामचन्द्र

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.
खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 19/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/22

सायल :–

दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

गैर सायल :–

1. रामचन्द्र पुत्र श्री शंकरजी गुर्जर मैसर्स श्रीनाथ आईसक्रीम पावभाजी, बस स्टेण्ड के पास तखतगढ़ जिला पाली निवासी दडबा, भालोटा की खेरी, गंगसार चितौड़गढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

–:निर्णय:–

दिनांकः 10.03.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 26.04.2019 को दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 17.09.2018 को दौराने निरीक्षण मैसर्स श्रीनाथ आईसक्रीम पावभाजी, बस स्टेण्ड के पास, तखतगढ़ जिला पाली पर पहूंचे तो वहां पर रामचन्द्र पुत्र श्री शंकरजी गुर्जर, मिले जिनको खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाकर विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स श्रीनाथ आईसक्रीम पावभाजी, में खाद्य सामग्री स्थल फ्रीजर में रखे हुए मावा कुल्फी (मावा,दूध व चीनी से बनी) के 200 पीस जिसको वह आम जन के लिये बिक्री हेतु रखे हुए था। उक्त खाद्य सामग्री में मिलावट का सदेंह होने पर रुबरु गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। खाद्य सामग्री मावा कुल्फी(मावा,दुध व चीनी से बनी) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिये जाने की सूचना विक्रेता को दी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में वहां पर रखे हुए मावा कुल्फी(मावा,दुध व चीनी से बनी) के 16 पीस वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी किमत विक्रेता को 160 रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता व उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर है। खरीद की गई खाद्य सामग्री मावा कुल्फी(मावा,दुध व चीनी से बनी) को चार भागों में करके चार शीशीयों में लेकर प्रत्येक में 300–300 एमएल लेकर उसमें 36–36 बुन्दें फौरमेलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बंद किया। मौके पर लेबल तैयार किये गये। लेबल जिस पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–812 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना शीशी पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को अलग–अलग खाकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 19/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011 उनवान दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामचन्द्र

कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाली की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप, कोड व क्रमांक आर–812 गोंद से नियमानुसार चारों नमूना शीशी के मूंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना शीशी को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, एक सील नमूना शीशी के मुंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना शीशी की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई व चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया। जिस पर विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लीप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किए व स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान को पढकर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये व स्वयं ने भी किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फॉर्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिसमें नमूना शीशी सील की थी। एक नमूना शीशी मय फॉर्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बंद वं सील मोहर कर, दो फॉर्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बंद कर, चपडी से से सील मोहर कर दो सीलबंद नमूना शीशी तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बंद कर, सील मोहर कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 18.09.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को दिनांक 18.09.2018 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए / 2018 / 13975 – 76 दिनांक 30.11.2018 एवं जांच रिपोर्ट संख्या / एलएस / 650/ एक्ट/ 2018–669 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा मालुम हुआ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया मावा कुल्फी (मावा,दुध व चीनी से बनी) का नमूना Sub-Standard (अवमानक) पाया गया है।

अतः रामचन्द्र पुत्र श्री शंकरजी गर्जुर, मैसर्स श्रीनाथ आईसक्रीम पावभाजी, बस स्टेण्ड के पास, तखतगढ़ जिला पाली ने मावा कुल्फी (मावा,दुध व चीनी से बनी) Sub-Standard (अवमानक) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस दिनांक 07.02.2025 को सूचित किया जाकर पेशी तारीख 10.03.2025 को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। गैर सायल बावजुद सूचना एवं तामीली के आज अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विश्लेषण किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 एवं जांच रिपोर्ट संख्या / एलएस / 650/ एक्ट/ 2018–669 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा मालुम हुआ कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया मावा कुल्फी (मावा,दुध व चीनी से बनी) का नमूना Sub-Standard (अवमानक) पाया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि गैर सायल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 19/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011 उनवान दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामचन्द्र

अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधि. की धारा 52 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरुद्व अप्रार्थी रुपये 5000/– अक्षरे पांच हजार रुपयें की शारित आरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगणों से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.19/2024/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

CamScanner